

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

विज्ञापन संख्या-02/स्थापना/2016

अस्थायी आधार पर उपलब्ध रिक्तियों को भरने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

- उच्च न्यायालय में निजी सहायक 9300-34800 रुपये वेतनमान, 4600/- रुपये ग्रेड वेतन (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ)
- न्यायिक अकादमी में अंग्रेजी आशुलिपिक-5200-20200/- रुपये वेतनमान, 2400/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ)।
- झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों में अंग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपिक-वेतनमान 5200-20200/- रुपये, 2400/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ)।
- झारखण्ड राज्य के कुटूम्ब न्यायालयों में अंग्रेजी आशुलिपिक-वेतनमान 5200-20200/- रुपये, 1900/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ)।

अलग-अलग पदों के रिक्तियों की स्थिति:-

- झारखण्ड उच्च न्यायालय में निजी सहायक

| क्रम संख्या | पद का नाम | आरक्षण कोटि | पदों की संख्या | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------------|
| | | | कुल | महिला | शारीरिक विकलांग व्यक्तियों |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | झारखण्ड उच्च न्यायालय में निजी सहायक | सामान्य | 13 | 01 | शून्य |
| | | अनुसूचित जाति | 10 | 01 | शून्य |
| | | अनुसूचित जनजाति | 02 | शून्य | शून्य |
| | | बी. सी. I | 02 | शून्य | शून्य |
| | | बी. सी. II | 00 | शून्य | शून्य |
| | | कुल | 27 | 02 | शून्य |

- न्यायिक अकादमी झारखण्ड तथा झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों में अंग्रेजी आशुलिपिक एवं झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों में हिन्दी आशुलिपिक

| न्यायिक अकादमी झारखण्ड, राँची हेतु अंग्रेजी आशुलिपिक | | | | | | |
|---|---------|-----------------|---------------|------------------------|------------|-----|
| कोटि | सामान्य | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | ई.बी. सी. (बी. सी. I) | बी. सी. II | कुल |
| रिक्ति | 01 | 01 | शून्य | शून्य | शून्य | 02 |
| झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों हेतु अंग्रेजी आशुलिपिक | | | | | | |
| कोटि | सामान्य | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | ई.बी. सी. (बी. सी. I) | बी. सी. II | कुल |
| रिक्ति | 43 | 50 | 25 | 10 | 05 | 133 |
| झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों में हिन्दी आशुलिपिक | | | | | | |
| कोटि | सामान्य | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | ई.बी. सी. (बी. सी. I) | बी. सी. II | कुल |
| रिक्ति | 04 | 03 | 02 | 02 | शून्य | 11 |

अभ्यर्थियों को नीचे दिये गये विहित प्रपत्र में आवेदन भरना होगा, जो महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पते पर सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2016 है।

यह विज्ञापन झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.jharkhandhighcourt.nic.in पर भी उपलब्ध है।

पात्रता मानदंड:-

1. अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के निजी सहायक तथा व्यवहार न्यायालय के अंग्रेजी आशुलिपिकों हेतु अंग्रेजी शॉर्टहैण्ड तथा टंकण में प्रवीण, व्यवहार न्यायालय के हिन्दी आशुलिपिकों हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी शॉर्टहैण्ड तथा टंकण में प्रवीण होना चाहिए। निजी सहायक तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों के शॉर्टहैण्ड तथा टंकण की गति कमशः 100 तथा 40 शब्द प्रति मिनट होगा जिसमें 10 प्रतिशत तक गलतियों सहित अनुमत तथा हिन्दी आशुलिपिकों के लिए गति 70 तथा 35 शब्द प्रति मिनट, 10 प्रतिशत गलतियों सहित अनुमत होगा।
2. अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पूर्ण अभ्यस्त होना चाहिए।
3. अभ्यर्थियों को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम नैतिक आचरण का होना चाहिए तथा उसे किसी आपराधिक मामला या किसी तरह के नैतिक दुराचार में संलिप्त या सम्बंधित नहीं होना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों की आयु 01.01.2016 को 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए तथा उसका उम्र सामान्य कोटि हेतु 35 वर्ष, ई0बी0सी0/एम0बी0सी0 (अनुसूची-I) तथा बी0सी0 (अनुसूची-II) हेतु 37 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों के मामलों में (सामान्य, ई0बी0सी0/एम0बी0सी0 तथा बी0सी0) 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शारीरिक निःशक्त अभ्यर्थियों को पाँच (05) वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा।
5. राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा उसका लाभ केवल झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। अन्य राज्यों के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का अभ्यर्थी माना जाएगा।
6. अभ्यर्थियों का पहले दक्षता परीक्षण लिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण हों, सिर्फ उन्हें ही सिर्फ मौखिक/साक्षात्कार जाँच हेतु उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
7. दक्षता परीक्षण तथा वैयक्तिक परीक्षण/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा।
8. अभ्यर्थी को निजी सहायक तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों हेतु आवेदित पद के लिए केवल "निजी सहायक व अंग्रेजी आशुलिपिक" शब्द का वर्णन अवश्य करना होगा।
9. हिन्दी आशुलिपिक हेतु आवेदित पद के लिए केवल "हिन्दी आशुलिपिक" शब्द का वर्णन अवश्य करना होगा।
10. हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिक दोनों पदों पर आवेदन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिक पदों हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा।
11. एक लिफाफा में सिर्फ एक आवेदन ही अभ्यर्थी द्वारा भेजा जाएगा।
12. अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. आवेदन सिर्फ निबधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

अनुलग्नक:-

1. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अंक पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. स्नातक का औपबंधिक/मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र या सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, जो कि जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त (केवल आरक्षित कोटि के मामले में) द्वारा सत्यापित तथा प्रतिहस्ताक्षरित हो, का राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा जारी डोमिसाइल (आवासीय) प्रमाण-पत्र या सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी डोमिसाइल (आवासीय) प्रमाण-पत्र, जो कि जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त, यदि वे आरक्षण का दावा करते हैं, द्वारा सत्यापित तथा प्रतिहस्ताक्षरित हो, का राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. निःशक्तता प्रमाण-पत्र, जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा, निःशक्त अभ्यर्थियों के मामलों में, जारी हो, का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति।
6. सामान्य वर्ग, ई0बी0सी0/एम0बी0सी0 (अनुसूची-I), बी0सी0 (अनुसूची-II) के लिए 500 (केवल पाँच सौ) रुपये एवं अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए 125 (केवल एक सौ पच्चीस) रु0 का मूल बैंक ड्राफ्ट, परीक्षा शुल्क के रूप में, जो महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की राँची शाखा पर देय हो।
7. पासपोर्ट आकार के तीन अद्यतन फोटो (राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित एक फोटो सहित) आवेदन पत्र पर चिपकाया गया हो।

8. एक स्वपतालिखित बिना टिकट का 10 X 4.5 से0मी0 आकार का लिफाफा।
9. सक्षम संस्थान द्वारा जारी स्टेनोग्राफी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति।

महत्वपूर्ण

1. आवेदन सिर्फ अंग्रेजी में भरा जाएगा।
2. चयन सूची में, जो मेधा सूची में उच्चतर स्थान पाएंगे उन्हें उच्च न्यायालय में निजी सहायक के पदों के उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की जाएगी। इसके पश्चात उन्हें न्यायिक अकादमी झारखण्ड/व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति की जाएगी।
3. मेधा के आधार पर तैयार सफल अभ्यर्थियों की सूची में से ही नियुक्ति की जाएगी।
4. सभी पदों की नियुक्ति में चयन समिति/उच्च न्यायालय का निर्णय सभी संबंधित पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा इस संदर्भ में कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का नाम तथा पता अवश्य लिखना होगा।
6. अधुरे आवेदन, जो उपरोक्त विहित अपेक्षाओं को नहीं पूरा करता है, को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई अग्रतर पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. परीक्षा तथा परीक्षा केन्द्र के विनिश्चय से संबंधित जानकारी बाद में घोषित किया जाएगा।
8. परीक्षा की तिथि तथा उसका स्थान दर्शाते हुए प्रवेश-पत्र अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि, इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम-से-कम दो दिन पूर्व महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है।

टिप्पणी:—टंकण का कौशल परीक्षण कम्प्यूटर पर लिया जाएगा जो परीक्षा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक:— 01.03.2016

आदेश से
ह0
महानिबंधक

प्रपत्र

झारखण्ड उच्च न्यायालय में निजी सहायक, न्यायिक अकादमी झारखण्ड, राँची और झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों में अंग्रेजी आशुलिपिक तथा झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों में हिन्दी आशुलिपिक पद हेतु आवेदन

1. पद के लिए आवेदन

(जो लागू हो उस पर कृपया चिन्ह लगाएँ)

- (क) उच्च न्यायालय के निजी सहायक—
- (ख) न्यायिक अकादमी झारखण्ड के अंग्रेजी आशुलिपिक—
- (ग) व्यवहार न्यायालय के अंग्रेजी आशुलिपिक—
- (घ) कुटूम्ब न्यायालय के अंग्रेजी आशुलिपिक—

अथवा

(ड.) व्यवहार न्यायालय के हिन्दी आशुलिपिक—

(हिन्दी आशुलिपिक हेतु अलग आवेदन समर्पित करना होगा)

2. आवेदक का नाम(बड़े अक्षरों में):—.....

3. पिता/पति का नाम:—.....

4. पत्राचार हेतु पता (पिन कोड के साथ):—.....

.....

5. स्थायी पता:—.....

.....

6. जन्म का स्थान एवं तिथि:—

7. दिनांक 01.01.2016 को उम्र:—वर्ष महीना.....दिन

8. राष्ट्रीयता:—.....

9. (क) मोबाईल नं०, यदि कोई हो:—.....

(ख) इमेल आईडी०, यदि कोई हो:—.....

10. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यतायें:—

| परीक्षा उत्तीर्ण | बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष | अंक प्रतिशत | वर्ग/श्रेणी |
|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | | |

राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें।

11 विशेष योग्यता, यदि कोई हो:-.....

12. कोटि (कृप्या चिन्ह लगाएं):-

- (क.) सामान्य-
- (ख.) ई0वी0सी0 (अनुसूची-I)-
- (ग.) वी0सी0 (अनुसूची-II)-
- (घ.) अ0जा0-
- (ङ.) अ0ज0जा0-

13. लिंग (कृप्या स्पष्ट करें):-.....

14. क्या निःशक्त है, यदि हाँ, तो निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत को इंगित करें:-

- (क) दृष्टि विहीनता या निम्न दृष्टि
- (ख) श्रवण दुर्बलता/क्षीणता
- (ग) चलन निःशक्तता या मस्तिष्क पक्षाघात

15. क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान/उपक्रम में कार्यरत हैं (हाँ/ना)

यदि हाँ, तो

- (क) विभाग/संस्थान का नाम-
- (ख) धारित पद का नाम-
- (ग) कब से-

16. डिमांड ड्राफ्ट का विवरण

- (क) राशि :
- (ख) डी0डी0 नं0 :
- (ग) दिनांक :
- (घ) देय :

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ना तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है और ना ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित किया गया है और ना ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी अपराध के लिए कोई आपराधिक वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर झारखण्ड उच्च न्यायालय मेरी अभ्यर्थिता चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द कर सकता है और स्वविवेक से परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित कर सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि अगर किसी गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अन्तर्गत मेरी नियुक्ति होती है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त/रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक/दाण्डिक कानूनों के तहत अभियोजन भी शुरू किया जा सकेगा।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक का हस्ताक्षर